राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2391/2025

राजकुमार

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 18.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उसके पूरे सेवाकाल में पदोन्नति के अवसर प्रदान न करने के निर्णय को चुनौती दे रहा है। उसे केवल चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया तथा उसे उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया, यहाँ तक कि उससे कनिष्ठों को भी उच्च पदों पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 16.06.2022, 04.05.2023 एवं 19.04.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी को प्रारम्भ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, बाद में उसे कार्यभार के आधार पर नियुक्त किया गया और उसके बाद उसे अर्ध–स्थायी घोषित कर दिया गया और उसे दिनांक 06.05.1989 से स्थायी कर दिया गया (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति दिनांक 06.05.1989 मानी गई तथा उसकी सेवाओं को

06.05.1989 से गिनते हुए उसे क्रमशः 6.5.1998, 6.5.2007 तथा 6.5.2016 को 9, 18 तथा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी को प्रारम्भ में हेल्पर के पद पर नियुक्त किया गया था। हेल्पर के पद से अगली पदोन्नति मीटर रीडर ग्रेड–I के पद पर होती है तथा मीटर रीडर ग्रेड–I से मीटर रीडर ग्रेड–II तथा मीटर रीडर ग्रेड–II से मीटर रीडर निरीक्षक के पद पर होती है, परन्तु अपीलार्थी को उच्चतर पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया तथा वह अभी भी हेल्पर के पद पर कार्यरत है, उसने सदैव मीटर रीडर के पद पर कार्य किया है जो कि उच्चतर पद है तथा अपीलार्थी अभी भी मीटर रीडर के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के पास हायर सेकेंडरी, विज्ञान की योग्यता है और मीटर रीडर ग्रेड I के पद पर सीधी भर्ती के लिए उसकी योग्यता हायर सेकेंडरी, विज्ञान है और इस प्रकार अपीलार्थी मीटर रीडर ग्रेड–I के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पूर्णतः पात्र एवं हकदार है।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 1991–92 की रिक्ति के विरूद्ध मीटर रीडर के पद पर उसकी पदोन्नति पर उस तिथि से विचार किया जावे, जिस तिथि से उसके कनिष्ठों को सभी पारिणामिक लाभ के साथ पदोन्नति गया था तथा मीटर रीडर ग्रेड–I के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति के बाद उसका नाम मीटर रीडर ग्रेड–I के पद की वरिष्ठता सूची में शामिल किया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर

उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतरामजी भाले)
अध्यक्ष